

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11505 /

दिनांक :-

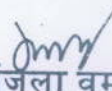
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री दीप्ति माहेश्वरी [लिंक न. 11505] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), बूंदी - [1000211] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 27/11/2017 से 07/12/2017 तक 11 दिवस

कुल 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री दीप्ति माहेश्वरी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11505 / 1252-56 दिनांक :- 18-5-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), बूंदी
2. कोषाधिकारी बूंदी
3. श्री /श्रीमती / सुश्री दीप्ति माहेश्वरी [11505] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), बूंदी
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)